

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक

/2013 जिला-मंदसौर

- 1- कंचनबाई बेवा मांगीलाल तेली, निवासी- गुराडिया देदा तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.)
- 2- पार्वतीबाई पुत्री मांगीलाल तेली, निवासी- जीरन तहसील व जिला नीमच (म.प्र.)
- 3- नानीबाई उर्फ मानीबाई उर्फ निहालीबाई पिता मांगीलाल तेली पति दिनेश तेली, निवासी- ग्राम दारु तहसील व जिला नीमच
- 4- गुडडीबाई पिता मांगीलाल पति रामनारायण, निवासी- गुराडिया देदा तहसील व जिला मंदसौर

..... आवेदिकागण

विरुद्ध

- 1- दशरथ पिता कारूलाल दत्तक पिता मांगीलाल तेली
- 2- गोपाल पिता कैलाशचन्द्र दत्तक पिता मांगीलाल तेली
- 3- मुन्नीबाई पिता मांगीलाल पति कारूलाल निवासीगण- गुराडिया देदा तहसील व जिला मंदसौर
- 4- शांतीबाई पिता मांगीलाल तेली पति कैलाश नारायण तेली, निवासी- नाहरगढ़ तहसील सीतामऊ जिला-मंदसौर (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

शब्द 121-I/13

श्री. एम. व. चतुर्वेदी म. वि.
द्वारा ज. नं. ०४. व. 13 को
प्रस्तुत

४/13
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश


Chaturvedi
08/1/13

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रक. क्रमांक रिव्यु 121-एक/2013

जिला मंदसौर

, तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-06-2014	<p>आवेदक को भेजा गया नोटिस तामीली उपरांत वापिस प्राप्त । आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । आवेदकपक्ष व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदकपक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	